जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक 03.07.2024**

प्रेस नोट

एएनटीएफ यूनिट मेरठ व थाना झिंझाना पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में 01 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से अवैध स्मैक (कीमत करीब तीस लाख रुपये), कट, 01 अदद मोबाइल व मोटर साईकिल बरामद। दिनांक 02.07.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के पर्यवेक्षण में एएनटीएफ यूनिट मेरठ व थाना झिंझाना पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में 01 मादक पदार्थ तस्कर को 281 ग्राम अवैध स्मैक मय 368 ग्राम कट, मोबाइल व मोटर साईकिल सहित ग्राम गुर्जरपुर कट करनाल रोड़ से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.अमन पुत्र इरशाद निवासी ग्राम भूरा थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध स्मैक 281 ग्राम मय 368 ग्राम कट (कीमत करीब तीस लाख रुपये)।

2.मोबाइल एप्पल कम्पनी।

3.मोटर साईकिल स्पलेण्डर प्लस रजि0नं0 UP19R6986 ।

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा चोरी की घटनाओं में वांछित 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया हुआ सामान व नगदी बरामद बरामदः-

आज दिनांक 03.07.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध वाहन/व्यक्ति की चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा चोरी की घटनाओं में लिप्त 02 अभियुक्तगण पिन्टू व सागर को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी किया हुआ सामान व नगदी बरामद हुई है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के 02 अन्य साथियों कार्तिक व रोहित को दिनाँक 30.06.2024 को थाना आदर्श मण्डी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 17.06.2024 को वादी श्री सचिन वर्मा पुत्र विरेन्द्र सिंह निवासी मौहल्ला जाट कालोनी थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली ने अज्ञात चोरों के विरुद्ध घर से नकदी व अन्य सामान चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना आदर्श मण्डी पर व दिनांक 20.06.2024 को वादी श्रीमती छोटी देवी पत्नी श्री चन्द्रवीर सिंह निवासी मौहल्ला काकानगर थाना कोतवाली शामली ने अज्ञात चोरों के विरुद्ध घर से नकदी व अन्य सामान चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर तहरीर दी थी। पीडितों की तहरीर के आधार पर थाना आदर्श मण्डी व थाना कोतवाली पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत किये गये थे। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना में वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी थाना आदर्श मण्डी व प्रभारी थाना कोतवाली को निर्देशित किया गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.पिन्टू पुत्र ओमबीर निवासी मौहल्ला दयानंदनगर थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2.सागर पुत्र अजय निवासी बड़ीमाता मन्दिर थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.चोरी की हुयी एक जोडी पायल सफेद धातू, एक चैन सफेद धातू, पहचान पत्र।

2.नगदी 2,300/- रुपये।

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला दयानंदनगर में जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

ज्ञात हो कि दिनांक 29.06.2024 को वादी प्रेम पुत्र जगदीश निवासी मौहल्ला तालाब रोड़ थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के पुत्र निहाल व उसके साथी काशी के साथ अभियुक्तगण द्वारा मारपीट कर जानलेवा हमला करने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर लिखित तहरीर दाखिल की थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया था। थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्तगण की तलाश की जा रही थी।

इसी क्रम में आज दिनांक 03.07.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला दयानंदनगर में जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगाई गयी है, शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.देवराज पुत्र चन्द्रवीर सिंह निवासी ग्राम लिलौन थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0 402/2024 धारा 147/148/307/506 भादवि व 3(2)(v)a एस0सी0एस0टी0 एक्ट थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

<u>थाना कोतवाली शामली/थाना झिंझाना पुलिस द्वारा वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 03 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-</u>

आज दिनांक 03.07.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना कोतवाली शामली/थाना झिंझाना पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 03 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के संबंध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-</u>

1.विपिन पुत्र विजय पाल निवासी ग्राम कण्डेला थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2.उस्मान पुत्र गुलाब सिंह निवासी मौहल्ला तलाही थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.वीरा सिंह पुत्र लाल सिंह निवासी मौहल्ला माजरा थाना झिंझाना जनपद शामली।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा व अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-

वर्ष 2002 में अभियुक्त राशिद पुत्र सरफराज निवासी ग्राम हसनपुर लुहारी थाना थानाभवन जनपद शामली के विरुद्ध थाना थानाभवन पर मु0अ0सं0 443/2002 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 03.07.2024 को माननीय न्यायालय CJ(JD)JM कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त राशिद उपरोक्त को धारा 4/25 आयुध अधिनियम में जेल में बितायी गयी अवधि व 500 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तः-

1.राशिद पुत्र सरफराज निवासी ग्राम हसनपुर लुहारी थाना थानाभवन जनपद शामली।